



2026:AHC:37750-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-3521/2026

राम प्रवेश सिंह

.....याचिकाकर्तागण

बानाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: हरे कृष्ण त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दायर की है :-

(I) दिनांक 02.09.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (मामला अपराध संख्या 485/2025, धारा 103(1), 238(ए) बीएनएस, पुलिस स्टेशन मेजा, जिला-प्रयागराज के अंतर्गत) के अनुसरण में मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किये जाए और जांच के दौरान नामज़द आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

(II) इस मामले की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए।

(III) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 02.09.2025 को दर्ज की गयी है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 - पुलिस आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें अपनी शिकायत को उजागर करते हुए निष्पक्ष और तटस्थ जांच की मांग की जाए और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 - पुलिस आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, प्रयागराज, इस मामले में निष्पक्ष और तटस्थ तथा शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

केएस

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”